ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
शिक्षा विभाग
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
Department of Education
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

सूचना/परिपत्र

विदित हो कि 14 सितंबर 2015 को हिंदी दिवस के अवसर पर शिक्षा विद्यापीठ के द्वारा वादविवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में वाद–विवाद का विषय, **''वैश्वीकरण के युग में हिंदी की प्रासंगिकता बढ़ी है।''**, है। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संकायों/केन्द्रों के विद्यार्थी सहभागिता कर सकते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन **14 सितंबर अपराह्न 3:00 बजे मुक्तिबोध भवन, शिक्षा विद्यापीठ** में किया जाएगा।

इस प्रतियोगिता से संबधित नियम शर्ते इस प्रकार हैं–

- प्रस्तुत वाद विवाद प्रतियोगिता का प्रारूप 'संसदीय वाद–विवाद' का होगा।
- वाद – विवाद प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पद किया जाऐगा।
- प्रत्येक वक्ता को अपना विचार रखने के लिए 4 मिनट दिए जाएगें। इसके अतिरिक्त 1 मिनट का समय विचार का सार या निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वक्ता को अधिकतम 5 मिनट मिलेगें।
- एक पक्ष और एक विपक्ष के वक्ता के वक्तव्य के बाद प्रश्नकाल का प्राविधान होगा। इस दौरान प्रत्येक वक्ता से दो सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल विपक्षी दल से और एक सवाल स्त्राताओं की ओर से होगा। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए वक्ताओं को 1:30 मिनट का समय दिया जाएगा।
- **शिक्षा विद्यापीठ के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता के दर्शक और स्त्रोता की भूमिका निभाएगें। वे प्रतियोगी के रूप में हिस्सा नहीं लेगें।**
- प्रतियोगिता से संबंधित अन्य नियम आयोजन स्थल पर एक बार पुनः बताए जाएगें
- यह अपेक्षित है कि वक्ता किसी लिखित सामग्री के बिना अपना विचार व्यक्त करें।
- यह अपेक्षित है कि विद्यार्थी तीन सदस्यों के दल में पंजीयन करायें। दल का निर्माण विभाग के आधार पर किया जा सकता है।
- निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

अधिष्ठाता
(शिक्षा विद्यापीठ)

ऋषभ कुमार मिश्र
(समन्वयक, वाद–विवाद प्रतियोगिता)